13.11.24

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे माजिद बहस सुनी गई थी वाद वादी का दावा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दिजावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 69/2017

बगदीराम आत्मज स्व. मोडा जी बलाई निवासी चेची तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. रामा आत्मज लखमा जी जाति बलाई निवसी चेची तह0 बेगूँ (मृत नाम हटाया)
2. बालु आत्मज मोती जाति बलाई निवसी चेची तह0 बेगूँ
3. भंवरलाल आत्मज उदा जी जाति बलाई निवसी चेची तह0 बेगूँ
4. नन्दू बेवा मोहनलाल जी जाति धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
5. कन्हैयालाल आत्मज मोहनलाल जाति धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
6. अणछीबाई पुत्री मोहनलाल जी जाति धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
7. विमलाबाई पत्नी ओमप्रकाश जी जाति खटीक निवासी चेची तह0 बेगूँ
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री एस.एन. ईनाणी
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 13.11.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम चेची तह0 बेगू में स्थित साबिक बेंदोबश्त की आराजी नम्बर 261/1 रकबा 12 बिश्वा वादी के स्वर्गीय पिता श्री मोडा जी पिता लखमा जी बलाई निवासी चेची ने इस आराजी तत्कालीन खातेदार श्री सुखा पिता देवा जी धाकड निवासी चेची से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.07.1957 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से वादी के पिता इस पर काबिज रहे है और उनके स्वर्गवास के पश्चात वादी एवं उसकी माता धापूबाई इस पर काबीज रहे और धापूबाई का भी स्वर्गवास हो जाने से वादी बगदीराम इस पर काबिज चला आ रहा है।

कि उपरोक्त आराजी नम्बर 261/1 रकबा 12 बिस्वा का नवीन बंदोबश्त में जरीब छोटी हो जाने से रकबा 16 बिस्वा हो गया है जि समे से नवीन आराजी नम्बर 407 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा तो वादी के पिता के खाते अंकित हुआ जो वर्तमान में वादी के खाते ही अंकित हैएवं इसका 0.032 हैक्टर रकबा वर्तमान आराजी नम्बर 426 में अंकित हो गया जो कि स्व0 लखमा जी के तीनो पुत्रो मोडा रामा व हीरा के नाम से गलती से अंकित हो गया, जबकि यह आराजी सिर्फ मोडा जी की ही खरीदशुदा है एवं लखमाजी के अन्य पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 रामा जी है एवं एक पुत्र हीरा जी थे जो फोत हो गये जिनकी बेवा हरकूबाइ ने उक्त आराजी नम्बर 426 में अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय बता दिया जिससे उसे भी पक्षकार बनाया है।

कि इसी प्रकार साविक आराजी नम्बर 2061/1 का लगभग 4 बिस्वा हिस्सा वर्तमान आराजी नम्बर 427 में नक्शाट्रेस में बता दिया गया जो कि उदा पिता लक्ष्मण एवं बालू पिता मोती के नाम रेकार्ड में अंकित हुआ जो वर्तमान में प्रतिवादी सं0 2 व 3 एवं श्री मोहनलाल धाकड के नाम अंकित है जिनका भी लगभग दो माह पूर्व स्वर्गवास हो जाने से प्रतिवादी सं0 4,5 6 जो उनके वैधानिक उत्तराधिकारी है उन्हें प्रतिवादी बनाया है।

यह कि इस प्रकार सातिव आराजी नं0 261/1 रकबा 12 बिस्वा वादी के स्वर्गीय पिता श्री मौडा जी द्वारा तन्हा रूप से खरीदी गई जिसके समस्त वर्तमान रकबा 16 बिस्वा वादी काबिज है, किन्तु रेकार्ड में वादी के नाम सिर्फ 9 बिस्वा ही अंकित हुई है और शेष लगभग 3 बिस्वा वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 7 के संयुक्त रूप से अंकित है जिसके नम्बर 426 है एवं लगभग 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 से लगायत 6 के नाम अंकित है, जिसके नए नम्बर 427 है जो नक्शाट्रेस से भी प्रमाणित है।

यह कि यद्यपि साविक आराजी नम्बर 261/1 का कपूरा रकबा वादी के कब्जे में है किन्तु वर्तमान रेकार्ड के अनुसार इससे बने हुए नए नम्बर 407 रकबा 9 बिस्वा वादी के खाते अंकित है, बकाया रकबा 3 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 7 के नाम संयुक्त रूप से अंकित है जो आराजी नम्बर 426 है एवं लगभग 4 बिस्वा रकबा जो वर्तमान आराजी नम्बर 427 में सामिल हो गया है जो वादी यह घोषित कराने का अधिकारी है कि वर्तमान आराजी नम्बर 426 रकबा 0.032 हैक्टर अकेले वादी की है एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं 7 का नाम रेकार्ड से विलोपित किये जाने योग्य है एवं वर्तमान आराजी नम्बर 427 का 4 बिस्वा रकबा वादी अपने नाम अंकित कराने का अधिकारी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि बिनाय दावा दिनांक 01.06.2017 से शुरू होती है जबकि इस प्रकार गलत अंकन की जानकारी हुई जो प्रतिदिन हो रही है। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम चेची तह0 बेगूँ में स्थित है और पक्षकारान भी यही के निवासी है एवं काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा हेतु यह वाद होने से समायत न्यायालय आप है।

अतः वादी की प्रार्थना है कि :–

(ए) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 एवं 7 यह घोषित फरमाया जावे कि मौजा चेंची तह0 बेगूँ की वर्तमान आराजी नम्बर 426 रकबा 0.032 हैक्टर अकेले वादी की है एवं इस आराजी से प्रतिवादी सं0 1 एवं 7 का नाम विलोपित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें एवं मौजा चेची तह0 बेगूँ में वर्तमान आराजी नम्बर 427 मे 4 बिस्वा रकबा वादी का है जो प्रतिवादी सं0 2 से 6 के नाम से कम किया जाकर अलग से वादी के नाम अंकित फरमाया जावें।

(बी) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(सी) अन्य कोई दाद जो मुफीद वादी हो और न्यायालय उचित समझे दिलवाई जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ , प्रतिवादी सं0 1,2,3 उपस्थित आए प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा ईकबाली जवाबदावा पेश किया , प्रतिवादी सं0 2 ,3 जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 बावजूद सूचना के उपस्थित न आने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। जबकि पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2, 3, 7 की ओर से वकालतनाम अधिवक्ता श्री भोलेश भट्ट द्वारा पेश करते हुए प्रकरण में प्रतिवादीया संख्या 7 विमलाबाई की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादपत्र गलत होकर अस्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या दो गलत होकर अस्वीकार है। वर्तमान में आराजी संख्या 426 मोडा हीरा रामा के नाम से गलत अंकन नहीं हुआ हैक, वादी ने गलत बयानी की है। हरकुबाई ने आराजी संख्या 426 मे से अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 को हक हिस्सा अनुसार ही बेचान किया है। कलम संख्या तीन व चार व पॉच, छः गलत होकर अस्वीकार है वादी स्वयं सिद्ध करें। वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रतिवादीया ने कलम संख्या 7, 8, 9 व 10 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होना अंकित करते हुए जवाब दावा के विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 7 विमलाबाई ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आराजी संख्या 426 मे से हरकुबाई का निहित हक हिस्सा विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया है, तब से ही उक्त आराजयीात पर प्रतिवादी संख्या 7 विमलाबाई निरंतर काबीज होकर काश्त करती चली आ रही है।

यह कि वादी का वादपत्र कब्जेयाबी के अभाव में चलने योग्य नहीं है। यह कि वादी का वादपत्र में अंकित आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर वादी माननीय न्यायालय श्रीमान आपसे किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतःवादी का वादपत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

पत्रावली में प्रतिवादिया विमलाबाई का जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया::–

1– आया कि मौजा चेची तह0 बेगूँ की वर्तमान आराजी नम्बर 426 रकबा 0.032 हैक्टर अकेले वादी की होने एवं इस आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 एवं 7 का नाम विलोपित कराने की डिक्री प्राप्त कर पाने के वादी अधिकारी है? साथ ही मौजा चेची की वर्तमान आराजी नम्बर 427 में 4 बिस्वा रकबा वादी का होने व प्रतिवादी सं0 2 से 6 के नाम से कम कराने की डिक्री प्राप्त कर पाने के वादी अधिकारी है?

वादी

2– आया कि प्रतिवादी संख्या 7 विमलाबाई ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से आराजी संख्या 426 मे से हरकुबाई का निहित हक हिस्सा विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया है तब से ही उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 7 विमलाबाई निरन्तर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है, वादी का वादपत्र कब्जेयाबी के अभाव में चलने योग्य नहीं है साथ ही कब्जे के अभाव में वादी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है?

प्रतिवादी–7

3– दादरसी ?

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी बगदीराम आत्मज स्व0 मोडा जी बलाई का प्रस्तुत किया गया जिनसे मुख्य परीक्षण में वादी द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। प्रतिवादीया के विरुद्ध प्रकरण मे एक तरफा कार्यवाही होने से जिरह निल रही एवं पुनः परीक्षण भी निल रहा है। इस प्रकार प्रकरण मे वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही होने के कारण कोई साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी एक तरफा बहस को वादपत्र के अनुसार ही निवेदन करते हुए प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वर्तमान बदोबस्त में तीन टुकडे होना बताते हुए रकबा 12 बिस्वा का रकबा 16 बिस्वा हो गया है, 12 बिस्वा भूमि पिता जी ने खरीदी थी। हरकूबाई ने अपने पति का हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 को बेच दिया। नक्शाट्रे व मिलानखसरा से सब स्पष्ट हो जाता है। वर्तमान में 9 बिस्वा मुझ वादी के आ चुकी है 02 बिस्वा मेरे अलग आगयी है रामा जी की 5 बिस्वा और दिलवायी जावें। बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया, जिनका उल्लेख करते हुए प्रकरण में कायम की तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– तनकी नम्बर 1 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है जिनके द्वारा अपने वादपत्र को प्रस्तुत किये जाने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें से प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा चेची पटवार हल्का चेची सम्वत 2072 से 2075 तक का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। जमाबंदी में अंकित आराजी संख्या 377, 378, 387, 388, 391, 392, 398, 399, 427, 428, 556 कीता–11 कुल रकबा 3.3250 हैक्टर भूमि के खातेदार भंवरलाल मोहनलाल पिता उदा हिस्सा 1/2 बालू पिता मोती हिस्सा 1/2 धाकड सा.देह खातेदार रहन भंवरलाल पिता उदा का हिस्सा ब रा.ग्रा. बैंक शाखा चेची के नाम दर्ज किया हुआ है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी मौजा चेची पटवार हल्का चेची सम्वत 2072 से 75 जो कि प्रदर्श– 2 है में दर्ज आराजी संख्या 407, 408, 423, 483, 484 कीता– 5 कुल रकबा 0.8750 हैक्टर भूमि के खातेदार धापूबाई पति स्व. मोडा बगदीराम पिता मोडा बलाई सा.देह खातेदार रहन प्रा.स.भू.वि.बैंक चितौडगढ मूर्तहीन आ.नं. 483 के अलावा दर्ज अकित किया हुआ है। नकल जमाबंदी मौजा चेची पटवार हल्का चेची सम्वत 2072 से 2075 प्रदर्श– 3 है में अंकित आराजी संख्या 410, 424, 426 कीता– 3 कुल रकबा 0.4290 हैक्टर भूमि धापूबाई पति स्व. श्री मोडा बगदीराम पिता मोडा 1/3 रामा पिता लखमा 1/3 बलाई विमलाबाई पत्नि ओमप्रकाशा खटीक 1/3 सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है। प्रदर्श–4 नक्शाट्रेस आराजी का है। इन सभी नकल जमाबंदी का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, वादी द्वारा कृषि पास बुक की प्रति प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श–5 है उक्त पास बुक मोडा पिता लखमा बलाई सा.देह खातेदार के नाम पर होकर खाता संख्या 165 में आराजी संख्या 407 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 408 रकबा 19 बिस्वा आराजी संख्या 423 रकबा 4 बिस्वा एवं आराजी संख्या 484 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल कीता–5 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज होने का अंकन किया हुआ है। नकल बैचान नामा आराजी की नकल प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श–10 ए है उक्त बैचान नामा आराजी में सुरजा पिता देवा धाकड निवासी चेची द्वारा श्री मोडा पिता लखमा बलाई को मौजा चेची की आराजी संख्या 260/1 रकबा 15 बिस्वा , आराजी संख्या 261/1 रकबा 12 बिस्वा व नम्बर 264 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा एवं नम्बर 269/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल कीता–4 कुल रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा भूमि 1000/–रूपये में दिनांक 08.04.1957 को विक्रय की गई है। जो पंजीकृत दस्तावेज है। प्रदर्श–6 नकल किश्तवार मौजा चेची का प्रस्तुत किया है, प्रदर्श–7 महकमा बंदोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर के खसरा ग्राम चेची की नकल पेश की है। नकल भू–प्रवन्ध विभाग (सेटलमेन्ट) की नकल जो गत नम्बर एवं वर्तमान आराजी नम्बर के भू माप को दर्शाती है प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श–8 व प्रदर्श–9 इसके अवलोकन से पाया कि गत आराजी संख्या 261/2 जिसके नये आराजी नम्बर 406 होकर रकबा 11 बिस्वा अंकित है, इसी प्रकार गत आराजी संख्या 269/1 के नवीन आराजी संख्या 407 होकर रकबा 09बिस्वा अंकित है। गत आराजी संख्या 262 के नवीन नम्बर 424, गत आराजी संख्या 263 के नवीन आराजी नम्बर 425 व गत आराजी संख्या 261 के नवीन आराजी संख्या 426 बने है। पत्रावली में प्रदर्श–11 मृत्यु प्रमाण रामा बलाई पिता लखा बलाई का है जिनकी मृत्यु दिनांक 09.06.2018 को हुई है। पत्रावली में एक वसीयतनामा जो कि प्रदर्श–12 है जो कि रामा पिता लखा (लखमा) बलाई द्वारा बगदीराम पिता मोडा जी बलाई के पक्ष में पंजीकृत निष्पादित किया है जो कि दिनांक 07.06.2011 को निष्पादित हुआ है जिसमें वसीयतकर्ता रामा द्वारा अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति वादी बगदीराम के पक्ष में लिखी गई है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

इसी वसीयतनामा के आधार पर वर्णित कृषि आराजी वादी बगदीराम के नाम पर दर्ज अंकित की हुई है। दस्तावेज के अवलोकन से पाया कि गत आराजी संख्या 269/1 का रकबा 1बीघा 01 बिस्वा खरीद किया था जो कि सेटलमेन्ट में नये आराजी संख्या 407 से मात्र 09 बिस्वा ही वादी के खाते मे दर्ज हुआ है। इस प्रकार वादी के खरीद के मुकाबले रकबा कम दर्ज होना सिद्ध होता है। वादी को इस प्रकरण को सिद्ध करने के लिए नियमानुसार गत नम्बरान व नवीन नम्बरान के रकबे के मुकाबले कितना रकबा जरीब छोटी हो जाने से होना चाहिए इस प्रकार का कोई तुलनात्मक सारणी बना कर प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार एवं प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार में उपस्थित न आते हुए अपने जवाब का सिद्ध नहीं कराने एवं कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी उनके खाते में कमी रकबे को अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीया संख्या 7 का था, जिन्होने अपने जवाब में वादी का वादपत्र अस्वीकार करते हुए उनके द्वारा मौजा चेची की आराजी संख्या 426 में से हरकुबाई का निहित हक हिस्सा खरीद किया जाना बताते हुए उसी पर काबिज होकर काश्त किया जाना बताया है, तथा वादी के कब्जेयाबी के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं होना अपने जवाब दावा में अंकित किया है किन्तु अपने जवाब की पुष्टी हेतु इस पत्रावली में उनके द्वारा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है , इस प्रकरण में न तो प्रतिवादीया उपस्थित आई है ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित आये है जिसके कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हुई है जिससे प्रतिवादीया का जवाब सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 2 विरूद्ध प्रतिवादीया संख्या 7 निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादी अपने पक्ष की तनकी नम्बर 1 को सिद्ध करा पाने में सफल रहे है जिससे वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा चेची की आराजी संख्या 426 रकबा 0.032 हैक्टर भूमि जो कि अकेले वादी की है इस आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 7 का नाम विलोपित किये जाने की घोषणा की जाती है। एवं मौजा चेची के वर्तमान आराजी संख्या 427 में रकबा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम से कम किया जाकर वादी के नाम अंकित किये जाने की घोषणा की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :— 69 / 2017

बगदीराम आत्मज स्व. मोडा जी बलाई निवासी चेची तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. रामा आत्मज लखमा जी जाति बलाई निवसी चेची तह0 बेगूँ (मृत नाम हटाया)
2. बालु आत्मज मोती जाति बलाई निवसी चेची तह0 बेगूँ
3. भंवरलाल आत्मज उदा जी जाति बलाई निवसी चेची तह0 बेगूँ
4. नन्दू बेवा मोहनलाल जी जाति धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
5. कन्हैयालाल आत्मज मोहनलाल जाति धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
6. अणछीबाई पुत्री मोहनलाल जी जाति धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
7. विमलाबाई पत्नी ओमप्रकाश जी जाति खटीक निवासी चेची तह0 बेगूँ
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एन.ईनाणी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री..... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 13.11.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा चेची की आराजी संख्या 426 रकबा 0.032 हैक्टर भूमि जो कि अकेले वादी की है इस आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 7 का नाम विलोपित किये जाने की घोषणा की जाती है। एवं मौजा चेची के वर्तमान आराजी संख्या 427 में रकबा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम से कम किया जाकर वादी के नाम अंकित किये जाने की घोषणा की जाती है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / दिनांक :—

प्रतिलिपि अंतिम डिक्री की तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ